## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 19 जून, 2017

## सं 4/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.606 (अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में "www.gst.gov.in" को अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपवंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रवंधित वेबसाइट अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

हा .श्रीपार्वेती एस.एल. , अवर मचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

#### No. 4/2017 - Central Tax

G.S.R.606 (E).—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

4

## THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

Explanation.- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L., Under Secy.